भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

06.04.2022 के

तारांकित प्रश्न सं. 489 का उत्तर

रेलपथों पर दुर्घटनाएं

***489. श्री रामदास तडस:**

श्री पी.आर. नटराजन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देशभर में मनुष्यों और पशुओं विशेषकर हाथियों की रेलपथों पर होने वाली मौतों की लगातार बढ़ती जा रही घटनाओं से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हुई ऐसी मौतों का राज्य/मनुष्य/पशु-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने इस मामले के संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) देश में रेलपथों पर भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

रेलपथों पर दुर्घटनाओं के संबंध में 06.04.2022 को लोक सभा में श्री रामदास तडस और श्री पी.आर. नटराजन के तारांकित प्रश्न संख्या 489 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): वर्ष 2020 तक उपलब्ध राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर, वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 के दौरान अप्रिय घटनाओं और अन्य घटनाओं जैसे अतिचार, आत्महत्या, करंट लगने आदि से रेलवे पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या में अत्यधिक कमी आई है। तथापि वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में मामूली वृद्धि देखी गई है। रेलवे पर वर्ष 2021 के लिए अप्रिय घटनाओं और अन्य घटनाओं जैसे अतिक्रमण, आत्महत्या, करंट लगने आदि में मारे गए व्यक्तियों की संख्या के आंकड़े एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित नहीं किए गए हैं।

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2019, 2020, 2021 और चालू वर्ष अर्थात् 2022 (फरवरी तक) के दौरान देश में रेल पटरियों पर मारे गए हाथियों सहित जंगली जानवरों की संख्या का जोन-वार ब्यौरा परिशिष्ट में संलग्न है।

(ग) से (च): भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' एवं 'कानून व्यवस्था', राज्यों के विषय हैं और, इस प्रकार, भारतीय रेल पर अपराधों का निवारण, पता लगाना, पंजीकरण और जांच करना तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना आदि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन वे अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों यथा, राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी)/जिला पुलिस के माध्यम से करते हैं। बहरहाल, रेलवे सुरक्षा बल (रे.सु.ब.) यात्री क्षेत्र और यात्रियों को बेहतर सुरक्षा मुहैया कराने और इससे संबंधित मामलों में जीआरपी/जिला पुलिस के प्रयासों में सहयोग देता है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174 के अंतर्गत अपराध के मामले संबंधित राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा दर्ज किए जाते हैं और उनकी जांच और उनपर कानून के अनुसार आगे कार्रवाई की जाती है।

इसके अतिरिक्त, रेलवे ट्रैक पर अप्रिय घटनाओं में मानव मृत्यु को रोकने के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय भी किए जा रहे हैं :-

i. रेलवे ने व्यक्तियों द्वारा अतिचार करने सहित अप्रिय घटनाओं के कारणों को कम करने के लिए कारणों का अध्ययन करने और विशिष्ट उपायों का सुझाव देने के लिए सभी क्षेत्रीय रेलों में संरक्षा, सुरक्षा, सिगनल और इंजीनियरींग विभागों के अधिकारियों को शामिल करते हुए अंतर-विभागीय 'संयुक्त समिति' का गठन किया है। तदनुसार, हताहतों की संख्या को कम करने के लिए अवसंरचना में सुधार और सृजन करने के लिए निवारक और सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

ii. रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से नियमित रूप से घोषणाएं की जाती हैं, जिसमें यात्रियों से पैदल पार पुल (एफओबी) का उपयोग करने और रेल पटरियों को पार करने से बचने का आग्रह किया जाता है।

iii. रेलवे पटरियों को पार करने, पायदानों/सवारीडिब्बों की छत पर यात्रा, चलती ट्रेनों में चढ़ने/उतरने आदि में हताहतों के बारे में यात्रियों को संवेदनशील बनाने के लिए रेलवे द्वारा विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।

iv. अतिचार, पायदानों, सीढ़ियों, गाड़ियों की छत पर यात्रा करने, चलती गाड़ियों में चढ़ने/उतरने के खिलाफ नियमित अभियान चलाए जाते हैं और पकड़े गए व्यक्तियों पर रेल अधिनियम, 1989 के संगत प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाता है।

v. अतिचार वाले संवेदनशील स्थानों पर रेलवे सुरक्षा बल कार्मिक तैनात किए जाते हैं।

vi. अतिचार वाले संवेदनशील चिह्नित किए गए स्थानों पर चारदीवारी/बाड़ लगाना।

vii. यात्रियों की जागरूकता के लिए विशिष्ट स्थानों पर चेतावनी साइन बोर्ड प्रदान किए जाते हैं।

viii. रेल पटरियों सहित रेल परिसरों में अनधिकृत रूप से अतिचार करना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 147 के तहत एक दंडनीय अपराध है। पिछले वर्ष अर्थात 2021 के दौरान, कुल 82,628 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था और उन्हें अतिचार करने के लिए दोषी ठहराया गया था।

रेल पटरियों पर हाथियों/जानवरों की हत्या के मामलों में, क्षेत्रीय रेलवे घटनाओं की जांच करती है और जहां-कहीं भी आवश्यक हो, पूछताछ करती है। जांच/पूछताछ के निष्कर्षों के आधार पर क्षेत्रीय रेलों द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समन्वय

से निवारक उपाय किए जाते हैं। रेल दुर्घटनाओं में हाथियों की मौत को रोकने के लिए रेल मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक स्थायी समन्वय समिति का गठन किया गया है। क्षेत्रीय रेलों द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समन्वय से कई निवारक उपाय किए जाते हैं ताकि रेलगाड़ियों की चपेट में आने से जानवरों की आकस्मिक मृत्यु को रोका जा सके। किए गए निवारक उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं -

i. **पहचान किए गए संवेदनशील स्थानों पर गति प्रतिबंध लगाना।**

ii. **हाथी की उपस्थिति के बारे में ट्रेन चालकों को सतर्क करने के लिए उपयुक्त स्थानों पर साइनेज बोर्डों का प्रावधान।**

iii. **नियमित आधार पर गाड़ी के चालक दल और स्टेशन मास्टरों को संवेदनशील बनाना।**

iv. **रेल चालकों के लिए निर्बाध और स्पष्ट दृश्यता के लिए रेल पटरियों के साथ वाले पौधों को हटाना।**

v. **चिन्हित स्थानों पर हाथियों की आवाजाही के लिए अंडरपास और रैंप का निर्माण।**

vi. **पृथक स्थानों पर बाड़ लगाने की व्यवस्था।**

vii. **रेलवे ट्रैक के पास हाथियों और अन्य जंगली जानवरों की अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए रेलवे ट्रैक के किनारे खाद्य अपशिष्ट को डंप करने से बचना।**

viii. **उन स्थानों पर अभिनव हनी बी साउंड सिस्टम स्थापित करना, जहां हाथियों के आने की संभावना अधिक हो।**

ix. **स्टेशन मास्टर और लोको पायलटों को सतर्क करके समय पर कार्रवाई करने के संबंध में रेलों और वन विभाग द्वारा लगाए गए हाथी ट्रैकरों पर नजर रखने के लिए रेलवे नियंत्रण कार्यालयों में वन विभाग के कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है।**

x. **गांवों में संरक्षा प्रचार के दौरान रेलपथ के पास मवेशियों को आने से रोकने के लिए ग्रामीणों की काउंसलिंग करना।**

****

रेलपथों पर दुर्घटनाओं के संबंध में 06.04.2022 को लोक सभा में श्री रामदास तडस और श्री पी.आर. नटराजन के अतारांकित प्रश्न संख्या 489 के भाग (क) और (ख) के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट।

(क) और (ख): पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2019, 2020, 2021 और चालू वर्ष अर्थात् 2022 (फरवरी तक) के दौरान रेल पटरियों पर मारे गए हाथियों और अन्य वन्य जंगली जानवरों की संख्या का जोन-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

रेलवे	2019, 2020, 2021 और चालू वर्ष अर्थात् 2022 (फरवरी तक) के दौरान रेल पटरियों पर मारे गए हाथियों और अन्य जंगली जानवरों की संख्या							
	2019		2020		2021		2022 (फरवरी तक)	
	हाथी	अन्य जंगली जानवर	हाथी	अन्य जंगली जानवर	हाथी	अन्य जंगली जानवर	हाथी	अन्य जंगली जानवर
मध्य	0	0	0	1	0	1	0	0
पूर्व मध्य	0	19	0	25	0	38	0	14
पूर्व तट	2	0	2	0	3	0	0	0
उत्तर	2	0	2	0	2	0	0	0
पूर्वोत्तर	0	0	0	0	2	0	1	0
पूर्वोत्तर सीमा	4	0	6	0	5	1	2	0
दक्षिण	2	0	3	0	4	0	0	0
दक्षिण मध्य	0	2	0	3	0	0	0	1
दक्षिण पूर्व	0	0	3	0	2	0	0	0
दक्षिण पूर्व मध्य	0	18	0	7	0	25	0	22
दक्षिण पश्चिम	0	4	0	0	1	1	0	0
पश्चिम मध्य	0	1	0	2	0	1	0	0
पश्चिम	0	0	0	0	0	2	0	0
जोड़	10	44	16	38	19	69	3	37

*****